न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) जयपुर

प्रार्थना पत्र संख्या 59/2018

1. ईश्वर लाल पुत्र राधाकिशन जाति कुम्हार निवासी ग्राम झाग, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।
2. बद्री पुत्र राधाकिशन जाति कुम्हार निवासी ग्राम झाग, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।

प्रार्थीगण/गैरनिगरानीकार/प्रत्यर्थीगण संख्या 2 व 3

बनाम

1. मुलचन्द पुत्र नानगराम जाति कुम्हार निवासी ग्राम झाग, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।
2. गोरधन पुत्र रामनारायण जाति अहीर निवासी ग्राम झाग, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।
3. रूपनारायण पुत्र सूरजमल जाति सोनी निवासी ग्राम झाग, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।
4. सत्यनारायण यादव पुत्र सुवालाल यादव जाति यादव निवासी ग्राम झाग, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।
5. जगदीश प्रसाद पुत्र श्री सुवालाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम झाग, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण/निगरानीकर्तागण

6. सरपंच ग्राम पंचायत झाग, पंचायत समिति दूदू तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।

अप्रार्थी/गैरनिगरानीकार संख्या 1

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता बाबत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत अधिनियम याचिका संख्या 218/2016 बउनवानी मूलचन्द व अन्य बनाम सरपंच ग्राम पंचायत झाग व अन्य में पारित एकपक्षीय निर्णय दिनांक 27.04.2017 को अपास्त किया जाकर उक्त याचिका को रेस्टोर/पुनः नम्बर पर लिया जाकर प्रार्थी को समूचित सुनवाई का अवसर प्रदान करके प्रकरण का गुणावगुण निस्तारण करने बाबत।

निर्णय दिनांकः– 28-8-2019

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता बाबत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत अधिनियम याचिका संख्या 218/2016 बउनवानी मूलचन्द व अन्य बनाम सरपंच ग्राम पंचायत झाग व अन्य में पारित एकपक्षीय निर्णय दिनांक 27.04.2017 को अपास्त किया जाने हेतु पेश किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया है कि अप्रार्थीगण 1 ता 5 के द्वारा न्यायालय के समक्ष एक निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत बाबत विरूद्ध निर्णय दिनांक 24.11.2009 ग्राम पंचायत झाग मिसल संख्या 50/08–09 जिसके आधार पर पट्टा संख्या 44 दिनांकित 21.12.2009 जारी किया गया, प्रस्तुत की गई। उक्त निगरानी याचिका प्रकरण संख्या 218/2016 बउनवानी मूलचन्द व अन्य बनाम सरपंच ग्राम पंचायत झाग व अन्य के रूप में दर्ज रजिस्टर की गई। जिसमें वर्तमान प्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 27.04.2017 पारित कर प्रार्थीगण का पट्टा निरस्त कर दिया गया।

दिनांक 05.07.2018 को बारिश के पानी की निकासी हेतु कच्ची नाली बनाने का अप्रार्थीगण द्वारा विरोध किया गया एवं नाली बनाने से रोक दिया गया। ग्राम पंचायत में सम्पर्क करने पर प्रार्थीगण को पट्टा खारिज होने की सूचना मिली। प्रार्थी संख्या 2 द्वारा दिनांक 06.07.2018 को अपने अधिवक्ता से सम्पर्क करने पर उन्होंने प्रकरण के संबंध में कोई जानकारी नहीं होना बताया। प्रार्थी को स्वयं के स्तर पर दिनांक 10.07.2018 को नकल प्राप्त होने पर न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर चतुर्थ, जयपुर के आदेश दिनांक 27.04.2017 के संबंध में ज्ञात हुआ।

जिन गवाहों के हस्ताक्षर करवाये हैं वह भी मिलिभगत कर करवाये हैं। जिसके चलते एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रार्थी संख्या 2 के द्वारा अपनी पेरवी के लिये अधिवक्ता नियुक्त किया था परन्तु प्रार्थी के अधिवक्ता के न्यायालय हाजा में हाजिर अदालत नहीं आने के कारण प्रार्थी के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई जबकि न्याय का सुस्थापित सिद्धान्त है कि अधिवक्ता की गलती का खामियाजा पक्षकार को नहीं दिया जा सकता है। प्रार्थी संख्या 2 द्वारा कई बार अपने अधिवक्ता से सम्पर्क करना चाहा एवं प्रकरण की वस्तुस्थिति के बारे में जानकारी करनी चाही परन्तु अधिवक्ता द्वारा प्रकरण विचाराधीन होने बाबत सूचित किया गया इसी दौरान बिना किसी सूचना के एक तरफा कार्यवाही की जाकर निर्णय पारित किया गया।

अन्त में निवेदन किया गया है कि उक्त निर्णय दिनांक 27.04.2017 को अपास्त किया जाकर प्रकरण को सुनवाई हेतु पुनः नम्बर पर लिया जाकर एवं रेस्टोर कर सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम में अंकित किया गया है कि निर्णय दिनांक 27.04.2017 के बाबत प्रार्थीगण को जानकारी होने पर दिनांक 10.07.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली संख्या 218/2016 की प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त होने पर सर्वप्रथम आलोच्य आदेश दिनांक 27.04.2017 की सर्वप्रथम जानकारी हुई। इस कारण जानकारी से प्रार्थना पत्र नियमानुसार अवधि में श्रीमान के समक्ष बिना किसी विलम्ब के अन्दर मियाद पेश है। अन्त में निवेदन किया गया है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं दिनांक 27.04.20174 से दिनांक 10.07.2018 तक अपील प्रस्तुत करने की डिले कण्डोन फरमाया जावे एवं मूल निगरानी याचिका का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण किया जावे। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के साथ निर्णय दिनांक 27.04.2017 न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर चतुर्थ, जयपुर की प्रमाणित प्रतिलिपी संलग्न की है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को तलबी नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 की ओर से अधिवक्ता भगवान सहाय शर्मा ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 6 के नोटिस बाद तामील प्राप्त हुआ। मूल पत्रावली मंगवाई गई।

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित किया गया है कि पंचायत राज अधिनियम 1994 एक विशिष्ठ अधिनियम है जिसमें ग्राम पंचायत या पंचायत समिति द्वारा पारित किसी भी आदेश की निगरानी के अधिकार धारा 97 में दिये गये है और उक्त धारा 97 के तहत पारित आदेश अंतिम आदेश है जिसके विरूद्ध आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के प्रावधान कतई लागू नहीं होते हैं। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। प्रार्थी/गैरनिगरानीकार संख्या 3 बद्री पुत्र राधाकिशन की तरफ से उनके अधिवक्ता अश्वनी कुमार शर्मा ने दिनांक 16.09.2016 को वकालतनामा पेश किया तथा प्रकरण में गैरनिगरानीकारान व उनके अधिवक्ता उपस्थिति नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। गैर निगरानीकार संख्या 2 के नोटिस विधिवत तामील करवाकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थी/गैरनिगरानीकार संख्या 2 ग्राम झाग में निवास नहीं करता है बल्कि ग्राम बेगस अहीरों की कोठी तहसील जयपुर में परिवार सहित निवास करता है। प्रार्थीगण का उक्त भूखण्ड में कोई मकान नहीं है। प्रार्थी ने मद में अंकित नहीं किया है कि उक्त समयावधि में सम्पर्क क्यों नहीं किया गया। मद में गैरनिगरानीकार संख्या 6 व 7 की तलबी भी गलत अंकित की गई है क्योंकि निगरानी में मात्र 3 गैर निगरानीकार ही है। दिनांक 20.09.2016 को अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से श्री अश्वनी कुमार का वकालतनामा पेश करना स्वीकार है। प्रार्थी संख्या 2 जानबूझकर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए जबकि सगे भाई प्रार्थी संख्या 1 की ओर से वकालतनामा पेश हो चुका था। कानून का सुस्थापित सिद्धान्त है कि प्रार्थी अपनी गलती को अधिवक्ता पर अधिरोपित नहीं कर सकता। प्रार्थी के अधिवक्ता दिनांक 20.09.2016 से दिनांक 17.04.2017 तक उपस्थित आये। उक्त प्रकरण अदम पैरवी अदम हाजिरी में खारिज नहीं हुआ। इसलिए रेस्टोर किये जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। अन्त में निवेदन किया गया है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जाये।

प्रार्थना पत्र धारा 5 के जवाब में अंकित किया गया है कि प्रार्थीगण द्वारा आदेश 9 नियम 13 सीपीसी का प्रार्थना पत्र निगरानी याचिका में पारित निर्णय के विरूद्ध पेश किया है जो कानूनन ग्राहय नहीं है। न्यायालय द्वारा ग्राम पंचायत की पत्रावली के अवलोकन के बाद ही विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है। प्रकरण की प्रमाणित प्रतिलिपी लेने की प्रार्थीगण को क्यों आवश्यकता पडी ? अतः प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जाये।

अप्रार्थीगण ने जवाब के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2019 (2) RRT पेज 866, 2017 (1) RRT पेज 711

अथवा सूचना प्राप्त नहीं हुई। तामील की सम्पूर्ण कार्यवाही मिलिभगत कर की गई है। प्रार्थी संख्या 1 पर किसी रूप में तामिल नहीं हो सकी एवं पूर्व में जारी नोटिस दिनांकित 24.10.

2016 अप्रार्थीगण ने तामिल कुनिन्दा से मिलकर नोटिस पर अंकित पेशी के पश्चात मिलिभगत कर दिनांक 24.11.2016 को तामील करवाना अंकित कर पेश करवा दिया एवं प्रार्थी की तामिल चस्पानगी से करवा कर दी एवं तामिल रिपोर्ट पर जिन गवाहों के हस्ताक्षर करवाये हैं वह भी मिलिभगत कर करवाये हैं। प्रार्थी को पंचायत ने विधि सम्मत तरीके से पट्टा आवंटित किया है। पंचायती राज अधिनियम के नियमानुसार ही प्रार्थी को पट्टा आवंटित किया गया है। प्रार्थी संख्या 2 के द्वारा अपनी पेरवी के लिये अधिवक्ता नियुक्त किया था परन्तु प्रार्थी के अधिवक्ता के न्यायालय हाजा में हाजिर अदालत नहीं आने के कारण प्रार्थी के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई जबकि न्याय का सुस्थापित सिद्धान्त है कि अधिवक्ता की गलती का खामियाजा पक्षकार को नहीं दिया जा सकता है। प्रार्थी संख्या 2 द्वारा कई बार अपने अधिवक्ता से सम्पर्क करना चाहा एवं प्रकरण की वस्तुस्थिति के बारे में जानकारी करनी चाही परन्तु अधिवक्ता द्वारा प्रकरण विचाराधीन होने बाबत सूचित किया गया इसी दौरान बिना किसी सूचना के एक तरफा कार्यवाही की जाकर निर्णय पारित किया गया। निर्णय दिनांक 27.04.2017 के बाबत प्रार्थीगण को जानकारी होने पर दिनांक 10.07.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली संख्या 218/2016 की प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त होने पर सर्वप्रथम आलोच्य आदेश दिनांक 27.04.2017 की सर्वप्रथम जानकारी हुई। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं दिनांक 27.04.20174 से दिनांक 10.07.2018 तक अपील प्रस्तुत करने की डिले कण्डोन फरमाया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से बहस में कथन किया गया कि प्रार्थी/गैरनिगरानीकार संख्या 3 बद्री पुत्र राधाकिशन की तरफ से उनके अधिवक्ता अश्वनी कुमार शर्मा ने दिनांक 16.09.2016 को वकालतनामा पेश किया तथा प्रकरण में गैरनिगरानीकारान व उनके अधिवक्ता उपस्थिति नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थी ने मद में अंकित नहीं किया है कि उक्त समयावधि में सम्पर्क क्यों नहीं किया गया। प्रार्थी संख्या 2 जानबूझकर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए जबकि सगे भाई प्रार्थी संख्या 1 की ओर से वकालतनामा पेश हो चुका था। कानून का सुस्थापित सिद्धान्त है कि प्रार्थी अपनी गलती को अधिवक्ता पर अधिरोपित नहीं कर सकता। उक्त प्रकरण अदम पैरवी अदम हाजिरी में खारिज नहीं हुआ। इसलिए रेस्टोर किये जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। अन्त में निवेदन किया गया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जाये।

हमने पत्रावली, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, मूल रिकॉर्ड एवं न्यायिक दृष्टांतो का बगौर अवलोकन किया तथा विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। मूल पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी संख्या 1 के लिये जो नोटिस रजिस्टर्ड डाक से जारी किया गया वह भी प्रार्थी संख्या 1 को बिना तामिल कोठी मालिक का नाम अंकित नहीं होने के रिमार्क के साथ लौटकर आ गया था। केवल चस्पानगी के आधार पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाना प्रार्थी के अधिकारों का हनन है। प्रार्थी संख्या 2 के द्वारा अधिवक्ता भी नियुक्त किया गया था। किन्तु अधिवक्ता के न्यायालय में अनुपस्थित रहने पर इसका खामियाजा प्रार्थीगण को भुगतना किसी प्रकार से उचित नहीं है। प्रार्थी को बिना सुने एवं वास्तविक तथ्य को बिना ध्यान में लाए एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाना न्यायसंगत नहीं है। न्यायालय का कार्य उभयपक्षों को सुनकर एवं वास्तविक तथ्यों का आकलन कर निर्णय पारित करना है। अतः उपरोक्त विवेचन के मद्देनजर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी एवं धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, चतुर्थ के निर्णय दिनांक 27.04.2017 को अपास्त किया जाकर निगरानी संख्या 218/2016 पुनः नम्बर पर ली जाती है। निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर निगरानीकर्ता एवं गैर निगरानीकर्ता को जरिये नोटिस तलबी जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे।

(हिम्मत सिंह बारहठ)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं जिला मजिस्ट्रेट, तृतीय, जयपुर